HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17418/2026
CNR: RJHC021038852026 | URN: CRLMB / 32020U / 2026

Mukesh Alias Mukya Bavaria S/o Shri Mangilal Bavaria, Aged About 20 Years, R/o Sirohi Khurd, Police Station Naraina, District Jaipur Rural, Presently Residing At Naya Nimodiya, Chaksu, Police Station Chaksu, Jaipur (Raj.) (At Present In Judicial Custody Sub Jail Sambhar Lake, Jaipur Rural).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Parth Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र **बी एन एस एस की धारा 483** के अन्तर्गत पुलिस थाना करधनी, जयपुर पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **407/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 305(ए), 331(4), 62, 324(2) बी एन एस में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से इस प्रकरण में आलिप्त किया गया हैं। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.09.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.26
16:38:43 IST

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकोर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी पक्ष की अचल संपत्ति में गृह भेदन कर चोरी करने का आरोप है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश उर्फ मुक्या बावरिया पुत्र मांगीलाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/56/Murari Lal Sharma